

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

// अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना //


Schedule for 'Left Out Round' and "Mop-Up round" for allotment of vacant Private Medical Colleges, MBBS seats and Government Dental College BDS Seats (Following Hon'ble Supreme court order dated 07-09-2017 In I.A 802 and 803/2017 in SLP 22438-22439/2017

Left Out Round			
S.No	Date	Event	Duration
1	08-09-2017	Publication of Vacant Seats and Fresh Choice filling by the eligible candidates for Left Out Round.	7:00 PM to 12:00 Midnight on 08/09/2017
2	09-09-2017	Publication of allotment result.	By 12:00 Noon on 09/09/2017
3	09-09-2017	Candidates to report for admission either at the concerned allotted college or at RCVP Noronha Academy Shahpura Bhopal.	Immediately after Result Publication till 7:00 PM on 09/09/2017
Mop Up Round			
4	09-09-2017	Publication of Vacant seats for Mop-Up round	08:00 PM on 09-09-2017
5	10-09-2017	College level Mop Up Round allotment and admission at the concerned colleges.	9:00 AM onwards on 10-09-2017 and to be over by 12:00 mid night on 10-09-2017

--:अभ्यर्थियों के लिए निर्देश:--

1. लेफ्ट आउट राउंड की सीट आवंटन प्रक्रिया ऑनलाईन की जावेगी। इसमें प्रवेश नियम 2017 के अनुसार पहले मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए

- सीटें आवंटित की जायेंगी तथा इसके उपरांत यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट अनुसार आवंटित की जावेगी।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह केवल उन्हीं सीटों की च्वाइस फिलिंग करें जिनमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हों। एक बार सीट आवंटित होने के पश्चात् अभ्यर्थी को Mop-Up round हेतु विचारण में नहीं लिया जायेगा।
 3. ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन हुआ है, उन्हें आवंटित सीट पर प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवंटित संस्था अथवा RCVP Noronha Academy Bhopal में समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं आवश्यक शुल्क के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। आवश्यक शुल्क एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि संचालक चिकित्सा शिक्षा के नाम से देय होगा के माध्यम से जमा कराना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी विशेष कारण अथवा परिस्थिति में ऑनलाईन अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रवेश के समय फीस जमा कराने में असमर्थ हैं तो वे प्रवेश हेतु मल्टीसिटी चेक इस घोषणा के साथ जमा करा सकेंगे कि वे आगामी कार्यालयीन दिवस में देय फीस को डिमांड ड्राफ्ट संबंधित संस्था में अनिवार्य रूप से जमा कराएंगे अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त हो जाएगा एवं उन पर नियमानुसार सीट लिविंग बॉन्ड लागू हो जायेगा।


08.09.17
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश